घोषणाएँ

- जयपुर के आई.ओ.सी. डिपो में अक्टूबर, 2009 में लगी आग के कारण सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, ई.पी.आई.पी. में स्थित इकाइयों द्वारा देय कर मार्च, 2010 तक डैफर किया गया था। इन औद्योगिक इकाइयों की मांग को देखते हुए इनके द्वारा देय कर को दिसम्बर, 2010 तक डैफर किया जायेगा।
- राजस्थान निवेश संवर्धन योजना, 2003 के लाभ सीमेन्ट उद्योगों से आदेश दिनांक 22.5.2008 द्वारा वापस ले लिये गये थे। पिछले दो वर्षों में सीमेन्ट उद्योग में कोई नया निवेश नहीं हुआ है। अतः उक्त आदेश को वापस लिया जाकर सीमेन्ट उद्योग इकाइयों के नये निवेश पर इस योजना का लाभ पुनः दिया जायेगा, ताकि राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिल सके।
- रीको औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों से नगरीय विकास कर वसूल नहीं किया जायेगा।
- ब्राण्डेड रेडीमेड गारमेण्ट्स की कर दर में की गई बढ़ोतरी के संबंध में उद्योग–व्यापार द्वारा दर्शाई गई कठिनाईयों तथा राज्य के इस उद्योग को और प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, सभी प्रकार के रेडीमेड गारमेण्ट्स की कर दर 5 प्रतिशत की जायेगी।
- बजट प्रस्तावों में बिनौला खल पर 5 प्रतिशत वैट लागू किया गया था। पशुपालकों के हित एवं जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बिनौला खल पर लगाये गये वैट को वापस लिया जायेगा।
- बजट प्रस्तावों में ऑल इण्डिया परमिट वाले बंद यात्री वाहनों पर आरोपित कर की अधिकतम सीमा को पुनः 25000/– रुपये किया जायेगा।
- राज्य में पर्यटन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, 2007 की अवधि, जो 31 मार्च, 2010 को समाप्त हो रही है, को एक वर्ष के लिये बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
- राज्य में शैक्षणिक व चिकित्सा सुविधाओं को प्रोत्साहन देने के लिये भू–उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया में सरलीकरण करने का निर्णय लिया गया है। ऐसी इकाइयों की स्थापना हेतु स्थानीय निकाय स्तर पर अधिक अधिकार दिये जायेंगे। भू–उपयोग परिवर्तन के अन्य प्रकार के प्रकरणों में भी आवश्यक संशोधन किये जायेंगे। इसके साथ ही प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस संबंध में आवश्यक आदेश शीघ्र जारी किये जायेंगे।

- अनुसूचित जाति संगठक योजना (Special Component Plan for Schedule Caste) एवं अनुसूचित जन जाति उपयोजना (Tribal Sub-Plan) हेतु यथासंभव वास्तविक बजट प्रावधान करते हुए निर्धारित flow सुनिश्चित किया जायेगा।

- राज्य में काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी उल्लेखनीय सेवाओं के सम्मानस्वरूप उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर पद्म पुरस्कारों से नवाज़ा गया है। इनके विशिष्ट योगदान को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है किः–

  - सभी पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों को रोडवेज़ की सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जायेगी,
  - सर्किट हाउसों एवं अन्य राजकीय गेस्ट हाउसों में ठहरने की सुविधा प्रदान भी प्रदान की जायेगी,
  - राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा एवं कॉटेज आवंटन की सुविधा
  - राज्य एवं जिला स्तरीय समरोहों के अवसर पर स्थायी आमंत्रित सदस्यों की सूची में पद्म पुरस्कार विजेताओं को शामिल किया जायेगा।

- राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए **''बोर्ड ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट''** का गठन किया गया था, जिसे बी.डी. के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इस बोर्ड का नाम **''राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड''** है। बी.डी. एवं आर.आई.पी.बी. के कतिपय निर्णय अनावश्यक रूप से विवादों में आ गये तथा कई मामलों में ये निर्णय कोर्ट में भी चैलेंज हुए हैं। बी.डी. को समाप्त किया जायेगा तथा भविष्य में सभी निर्णय मंत्रिमण्डल के स्तर पर ही लिये जायेंगे। राजस्थान इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और प्रस्तावित सिंगल विन्डो एक्ट को दृष्टिगत रखते हुए समस्त महत्त्वपूर्ण निर्णय अब मंत्रिमण्डल द्वारा ही लिए जाऐंगे। इससे राज्य सरकार के निर्णयों में अधिक पारदर्शिता आएगी तथा राज्य में औद्योगिक निवेश को और बढ़ावा मिलेगा।

- ए.सी.बी. को और सशक्त बनाया जायेगा। ए.सी.बी., ए.टी.एस., एस.ओ. जी., ई.आर.टी. तथा बम डिस्पोज़ल स्क्वाड की सेवाओं हेतु सेवा नियमों में संशोधन कर, विशेष चयन के माध्यम से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इन स्पेशल ब्रांचेज़ में नियुक्ति किया जायेगा।

- राजकीय कारागृहों की व्यवस्था में सुधार के साथ–साथ कैदियों की भोजन सामग्री एवं इनके कपड़ों तथा बिस्तर इत्यादि के लिये प्रावधानों में बढ़ोतरी की गई। गत सरकार के पाँच वर्षों में केवल 250 प्रहरियों

की सीधी भर्ती की अनुमति दी गई, जिसकी कार्यवाही वर्तमान सरकार के कार्यकाल में की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2009–10 में 250 तथा वर्ष 2010–11 के बजट में 300 प्रहरियों के पदों पर भर्ती की घोषणा कर लगभग सभी रिक्त पदों पर नियमित कार्मिक लगाने की व्यवस्था की गई है। जब तक नियमित रूप से प्रहरियों की भर्ती नहीं होती है तब तक के लिये जेलों में बेहतर सुरक्षा हेतु 300 बोर्डर होमगार्ड्स लगाने की सहमति दी गई है।

- राज्य सरकार द्वारा एम.एल.ए. फण्ड की वर्तमान 80 लाख रूपये की राशि को बढ़ाकर एक करोड़ रूपये करने का निर्णय लिया गया है। एम.एल.ए. फण्ड पूर्व में ही non-lapsable कर दिया गया है। वर्तमान में राज्य जिस पेयजल संकट से गुज़र रहा है उसे देखते हुए यह प्रावधान किया जायेगा कि माननीय सदस्यों द्वारा बढ़ी हुई राशि का आगामी महीनों में उपयोग केवल अपने क्षेत्रों में पेयजल से संबंधित कार्यों पर ही किया जायेगा।

- संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में विधानसभा के माननीय सदस्यों के भत्तों एवं अन्य सुविधाओं में संशोधन पर विचार करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जो पक्ष, प्रतिपक्ष एवं निर्दलीय सदस्यों से विचार विमर्श कर अपने सुझाव राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सदस्यगणों के भत्तों एवं सुविधाओं में संशोधन हेतु बिल तैयार किया जाएगा। भूतपूर्व विधायकों की सुविधाओं के बारे में भी यही समिति सुझाव देगी।